(24)

निग0 5987/2018/रीवा/भू०रा०

न्यायालय श्रीमान् माननीय राजस्व मंण्डल म0प्र0 ग्वालियर (म0प्र0)

पनरीक्षण कमांक ..../18

20रु. बीस रुपये TWENTY R

1. रामजी मिश्रा उम्र 48 वर्ष तनय स्व0 श्री रामनिहोर मिश्रा पेशा खेती
2. श्रीमती सुन्दरी उम्र 80 वर्ष पत्नी स्व0 श्री रामनिहोर मिश्रा पेशा गृहिणी

निवासीगण ग्राम चौका सोनवर्षा पोस्ट आफिस देवतालाब थाना लौर तहसील मऊगंज जिला रीवा (म0प्र0) ----आवेदकगण

बिरुद्ध

1. रामजतन मिश्रा उम्र 77 वर्ष तनय स्व0 श्री गोविन्दराम पेशा खेती
2. श्रीमती अनीता उम्र 42 वर्ष पत्नी स्व0 श्री श्यामाचरण मिश्रा पेशा गृहिणी
3. वेद प्रकाश मिश्रा उम्र 19 वर्ष तनय स्व0 श्री श्यामाचरण मिश्रा पेशा विद्यार्थी
4. कु0 मधू उम्र 23 वर्ष पुत्री स्व0 श्री श्यामाचरण मिश्रा पेशा गृहकार्य
5. कु0 ज्योति उम्र 21 वर्ष पुत्री स्व0 श्री श्यामाचरण मिश्रा पेशा गृहकार्य
6. सुभम उम्र 17 वर्ष तनय स्व0 श्री श्यामाचरण मिश्रा पेशा विद्यार्थी
7. शिवम उर्फ उम्र 14 वर्ष तनय स्व0 श्री श्यामाचरण मिश्रा पेशा विद्यार्थी
8. अभिषेक उम्र 13 वर्ष तनय स्व0 श्री श्यामाचरण मिश्रा पेशा विद्यार्थी

अनावेदक कमांक 6 ता 8 नाबालिग जरिए बली संरक्षिका माता अनीता पत्नी स्व0 श्यामाचरण मिश्रा सभी निवासी ग्राम चौका सोनवर्षा पोस्ट आफिस देवतालाब थाना लौर जिला रीवा (म0प्र0) -----अनावेदकगण

पुनरीक्षण अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू0रा0सं01959ई बिरुद्ध आदेश अपर आयुक्त महोदय रीवा संभाग रीवा दिनांक 01.08.18 को प्रकरण कमांक 917/अपील/2010-11 मे पारित ।

(21)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

प्रकरण क्रमांक निग0–5987/2018/रीवा/भू–रा0 जिला– रीवा

रामजी मिश्रा/ रामजतन मिश्रा वगैरः

(1)	(2)	(3)
18-12-18	1. आवेदक की ओर से श्री शिवप्रसाद द्विवेदी अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी अपर कमिश्नर, रीवा संभाग रीवा के प्रकरण क्रमांक 917/अपील/2010–11 में पारित आदेश दिनांक 01.08.2018 के विरूद्ध इस न्यायालय में दिनांक 24.09.18 प्रस्तुत की गयी है। 2. म0प्र0 भू–राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत निगरानी सुनने की अधिकारिता इस न्यायालय को नहीं है। अतः आवेदक को सक्षम न्यायालय में आवदेन प्रस्तुत करने हेतु मूलतः वापस किया जाता है। निगरानी की छायाप्रति प्रकरण के साथ रखी जाये। 3. इस न्यायालय का प्रकरण समाप्त किया जाता है, तत्पश्चात प्रकरण दा.द. हो। सदस्य	